भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2079
07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों को बंद किया जाना

2079. श्री ए. ए. रहीम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कितने संयंत्र बंद हो गए हैं और कितने संयंत्र बंद किए जाने की योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन संयंत्रों को बंद करने के क्या कारण हैं; और
(ग) कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गँवा दी हैं और क्या सरकार इन कामगारों का पुनर्वास करेगी?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई के किसी संयंत्र को बंद नहीं किया गया है। सरकार ने अक्टूबर, 2016 में विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। बाद में, रणनीतिक विनिवेश के लिए लेन-देन में आगे भागीदारी करने में चयनित बोलीकर्ताओं द्वारा असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण विनिवेश के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को निरस्त कर दिया गया तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 14.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र, भद्रावती को बंद करने की प्रक्रिया के विषय में सूचित कर दिया गया है।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

****